न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 334–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 585/अपील/11–12.

1– गेन्दीलाल आ0 श्री लच्छीराम
2– अजबसिंह आ0 स्व0 श्री जुगराज सिंह
निवासी ग्राम भौरिया तहसील सिंरोज
जिला विदिशा ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी स्व. श्री छतरसिंह,
4– सविताबाई पुत्री स्व. श्री छतरसिंह
3– पप्पी बाई पुत्री स्व. श्री छतरसिंह
निवासी ग्राम भौरिया तहसील सिंरोज
जिला विदिशा ---- अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री अयूब खान, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के

अपील प्रकरण क्रमांक 585/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 29-12-14 में पारित आदेश दिनांक 29-12-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भोरिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 61 रकबा 0.164 हैक्टर एवं सर्वे नंबर 440 रकबा 1.037 हैक्टर का नामांतरण पंजी क्रमांक 37 व 38 पर आवेदकों के नाम जुगराजसिंह द्वारा दिनांक 19-9-98 को कराया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 29.6.12 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । आलोच्य भूमि पर जुगराजसिंह और उनकी मृत्यु उपरांत आवेदकों का नाम अंकित हुआ । जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया जिसकी

पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकों के पिता छतरसिंह के नाम अंकित रही तथा उनकी मृत्यु के उपरांत वारिसान के रूप में अनावेदकों के नाम अंकित हुई तथा जुगराज सिंह का नाम सरपरस्त के रूप में अंकित किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि जुगराजसिंह द्वारा नाबालिकों के हिस्से की भूमि पर अपने पुत्र व पोते के नामांतरण पंजी पर करा दिया गया जबकि नाबालिगों कीभूमि का विक्रय बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के नहीं किया जा सकता । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर